19(4) प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत तिलवाडा भरदार स्यारी मोटर मार्ग से स्यांरी गांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेत् लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 1 किमी0

> वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र ग्राम पंचायत का नाम :- स्यांरी तहसील जखोली, जिला रुद्रप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद-रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत तिलवाडा भरदार स्यांरी मोटर मार्ग से स्यारी गांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 1 किमी0) परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.1575 हे0 सिविल सोयम भूमि, 0.00 हे0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 0.1575 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत वर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेत् आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम स्थार के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ोकास अधिकारी ग्राम पंचायत

30/-ग्राम सचिव

नोट :-यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.1

परियोजना का नाम :- जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत तिलवाडा भरदार स्यारी मोटर मार्ग से स्यारी गांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 1 किमी0

दिनांक 12 06 15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति ग्राम पंचायत 2-थार

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ	हस्ताक्षर
	ग्रामवासियों के नाम	
	स्रवद्वपन्त	CAMP I
श्रीप्रति	प्रकाश जोशी	4 an 121 me 10,21
-क्षात्रात	ट्यारा द्वा	12/2/201
	यो जिला देवी	197712177
अगिमत		व भाभागाद्व
311119		27011 (4)
	राकेम जाल	ago il min
		उग्ने भारत
	विद्यारी व्याच	नियान नियान
		PARIT MIM
00	करेन व्याच	23221 CMC 1
- अशिव	महावीर लाख	52 Cholled
		Held 12 Orling
20	चाम बाल	Uffel 212
-श्री भारी	भारी देवी	2/10/1982
	माग्राज्ञ हो।	रामभार
01	राज्य में। हन	अनमाहन
- AINIA	राज्या देवा	11429K)
Min	गुरुरी देन	030331 Ral
1	समाप दवर	युनाता ववा
-आशाव	, युन्दरा देवा	- 10
1/	MH 991	संम देवी

संलग्न है।

वाम पंचायत वेकास् अधिकारी

74

जन्म । म



नाप भूमि का विवरण एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र 19

परियोजना का नाम :- जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत तिलवाडा भरदार स्यारी मोटर लार्ग से स्यारी गांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को दनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 1 किमी0

जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत तिलवाडा भरदार स्यांरी गोटर मार्ग से स्थांरी गांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 1 किमी०के मिर्नाण हेतु जो नाप भूमि अर्जित की जानी है, उस हेतु हम नापभूमिधरों को कोई आपत्ति नहीं है तथा हम अपनी भूमि विभागीय दरों पर देने हेतु सहर्ष सहमत हैं।

	lastrani ar ann	खसरा नं0	अर्जित की जानी	हस्ताक्षर
क्र0 सं0	भूमिधरों का नाम	असरा गा	वाली भूमि का	e contract
			क्षेत्रफल हैं में 0	*
6/12	लालिया प्रसाद	1015/1540	0.013+0.06	m/4011
Oliv	राजुरा पत	1016	0.015	(2)
	स्युद्र पत	1477	0.070	Sulfay
	किशोरी लाला	1479/1480	0.023+0.078	8 (92) 2) MANY
	थ्वानिन्द्र जायी	1455	0.035	A AMERICA
	ग्राठीया ग्राठी	1460	0.044	P/12 1/2 1/2
	मिद्दान देव	1454	0.033	
	ाखिमानन्द आरे	1478/1023	0.024/0.07	22 MAG
	शभू प्रसाद	1024	0.073	2131
		4		
				(ue)

राजस्व उपनिरादान

"समझौता ज्ञापन"

यह समझौता ज्ञापन एक पक्षकार के रूप में अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग रूद्रप्रयाग (कार्यदायी संस्था)

तथा

दूसरे पक्षकार के रूप में समस्त नापभूमिधर जिनकी भूमि तिलवाडा भरदार स्यारी मोटर मार्ग से स्यारी गांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उपयोग में लायी जानी है।

आज दिनांक 25/06/18 को निष्पादित किया गया है।

- यह सहमति हो गई है कि कार्यदायी संस्था मार्ग निर्माण क्रा समस्त कार्य निष्पादित करेगी।
- 2. यह सहमति हो गई है कि अपनी वह भूमिधर जिनकी भूमि मार्ग निर्माण /मक डिस्पोजल हेतु लायी जानी है, उनको वर्तमान रवीकृत सर्किल दरों पर प्रतिकर के रूप में भुगतान किया जायेगा तथा भूमि का हस्तान्तरण लोक निर्माण विभाग के नाम किया जायेगा।
- 3. यदि कोई विवाद होता है तो उसका निवारण तहसील स्तर से किया जायेगा, जिसका निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

इसके अतिरिक्त स्वरूप पक्षकारों ने अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से इस अविलेख पर ऊपर सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख, माह और वर्ष के हस्ताक्षर किये और अपनी मोहर लगाई है।

कार्यवायी संस्था की ओर से हस्ताक्षर

अधिशासी अभियन्ता प्रा०ख० लो०नि०वि० रूद्रप्रयाग

ह० पटवारी मोहर

नाम भूगमधर	
नाम- 1	हस्ताक्षर
1 (H29 1 7 4 60	OAR
3 95 902 906	
OAutomorphic	la series
4 yelly of nothing	A A
5	
6. 781191	ms 1911
7 समीचा देवी	
8 3 2 2 2	25 20 Edot 1901
9 2	· Construction
10 प्राण भाग	
71181 2017	
	- eer
13	
14	
15	
16	
17	
18	

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR DISTRICT Rudraprayag (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Rudraprayag

Mangesh Ghildiyal (I.A.S.) District Magistrate-cum-Chairman, District Level Committe, Rudraprayag

FORM-1 1.6 (for linear projects)

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Rudraprayag

No---66

Dated-13 pr 19

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.1575 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Provincial Division P.W.D. Rudraprayag (name of user agency) for Construction of Tilwara Bhardar Syari to Syari Village Motor road under District Sector (purpose for diversion of forest land) in Rudraprayag district falls within jurisdiction of Syari gaon village (s) in Jakholi tehsils.

It is further certified that:

the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire... hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ... to ...annexure....

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve reognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Mangesh Ghildiyal (I.A.S.)

(Full name and official seal of the District Collector)

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR DISTRICT Rudraprayag (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Rudraprayag

Mangesh Ghildiyal (I.A.S.) District Magistrate-cum-Chairman, District Level Committe, Rudraprayag